

इकबाल बनाम जुसफ वगै० वाद पत्र 89, 92ए आरटीए एक्ट दिनांक: 04.11.2020

पत्रावली आज प्रार्थी/वादी मय अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रा०पत्र देने पर पेशी में ली गई। इस प्रकरण में वादी अधिवक्ता ने प्रा०पत्र में बताया कि वादी-प्रतिवादी में आपस में सहमति बन रही है। प्रार्थी/वादी अब इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। इसलिए न्यायहित में वाद विद्धो करने के आदेश फरमावें। अतः प्रार्थी/वादी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली इस स्तर पर विद्धो के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

